

उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-1

संख्या: 26/2018/632/351-2018-6/9(2)/2018

दिनांक: 25 सितम्बर, 2018

कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबंध के आधार पर सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का पैनेल तैयार करने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रोसीजर एण्ड गाइडलाइन्स फार इन्गेजमेन्ट ऑफ कन्सल्टेन्ट्स/सीनियर कन्सल्टेन्ट्स इन नीति आयोग, F.No. A-12013/02/2015-Adm.1(B) dt. 11th Nov., 2016 के नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। यह दिशा-निर्देश भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुभव प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करते हैं तथा उच्च शिक्षित विशेषज्ञ व्यक्तियों को अपनी आवश्यकतानुसार, जो इकोनॉमिक्स, फाईनेन्स, एजूकेशन, पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, अर्बन प्लानिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में उच्च गुणवत्ता का व्यावसायिक इनपुट दे सकें, की कन्सल्टेन्ट/सीनियर कन्सल्टेन्ट के रूप में अल्प अवधि परामर्शी के रूप में सेवायें प्राप्त की जाती हैं। उक्त पद्धति/व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

3- नीति आयोग, भारत सरकार की उक्त पद्धति/व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबंध के आधार पर सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनेलमेन्ट किये जाने सम्बन्धी मानक/दिशा निर्देश (गाइड लाइन) पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2018 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4- मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत कन्सल्टेन्ट की तीन श्रेणियों यथा- सीनियर लेवल कन्सल्टेन्ट, मिड लेवल कन्सल्टेन्ट तथा जूनियर लेवल कन्सल्टेन्ट की कुल 21 कन्सल्टेन्ट रिसोर्सेस निम्नवत हैं :-

5- **सीनियर लेवल कन्सल्टेन्ट**

5.1 **प्रोजेक्ट डायरेक्टर**

कार्य क्षेत्र: प्रोजेक्ट ऑनसाइट टीम के मार्गदर्शन हेतु इनका कार्य, मुख्यतः बड़ी परियोजनाओं के लिये नेतृत्व प्रदान करना तथा परियोजना का सम्पूर्ण दायित्व वहन करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम.बी.ए. की डिग्री, न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 10 वर्ष ऑनसाइट (क्लायन्ट-फेसिंग) कन्सल्टेन्ट की भूमिका रही हो, न्यूनतम 10 बड़ी परियोजनाओं में परामर्शी टीम का नेतृत्व प्रदान किया हो,

न्यूनतम 05 परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शी सेवा प्रदान की हो, न्यूनतम 05 सेक्टर में परामर्शी सेवा प्रदान की हो। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में की गयी परामर्शी सेवा प्रदान करने के अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

5.2 नीति निर्धारण (पॉलिसी डिजाईन) कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: नए सुधार के अवसरों की पहचान करने में सहायता, विभागों की पृथक-पृथक इकाइयों के सुधार हेतु रणनीति तैयार करना, नीतिगत पहलुओं (इनीशिएटिव्स) पर सरकारी विभाग को सलाह देना, नीतिगत एजेण्डा बनाने में विभाग को सलाह देना तथा नीति अंगीकरण और कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम.बी.ए. की डिग्री, परामर्शी सेवाओं में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव और विशेष कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव, यथा-राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल तीन परियोजनाएं,) शासकीय सुधारों में एक परियोजना एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नीति निर्धारण की एक परियोजना में परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो।

5.3 शासकीय परामर्शीय कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभाग की किसी भी परियोजना से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर परामर्श प्रदान करना, मिशन मोड परियोजनाओं या बड़ी परियोजना प्रबन्धन इकाई को नेतृत्व प्रदान करना तथा सरकारी योजनाओं हेतु परामर्शी सेवार्यें प्रदान करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम.बी.ए. की डिग्री, शासकीय विभागों में तत्सम्बन्धी परामर्शी सेवाओं का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा-राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल पांच परियोजनाएं), सरकारी क्षेत्र में 03 मिशन मोड परियोजनायें, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय एक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग इकाई परियोजना का अनुभव एवं कम से कम 04 विभागों/मंत्रालयों में कार्य का अनुभव।

5.4 संविदा कन्सल्टेन्ट (लीगल एक्सपर्ट)

कार्य क्षेत्र: विभाग की मुख्य परियोजनाओं से सम्बन्धित संविदाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करना तथा मुख्य परियोजनाओं हेतु विधिक मार्गनिर्देश/अनुबन्ध का मसौदा तैयार करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कानून में स्नातक, परियोजनाओं से सम्बन्धित बिन्दुओं पर ग्राहकों (क्लाइन्ट्स) को परामर्श प्रदान करने का 10 वर्ष का अनुभव तथा कन्सेशन्स एग्रीमेन्ट, स्पेशल परपज वेहिकल एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य विधिक दस्तावेजों पर कार्य का अनुभव।

5.5 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभाग के आई.सी.टी.विजन/रोड-मैप के सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों में सहायता, विभाग की ई-गवर्नेन्स योजनाओं के विकास तथा रोलिंग-आउट में सहायता प्रदान करना, अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता, विभाग की परियोजनाओं के अनुश्रवण तथा समीक्षा हेतु एम.आई.एस. टूल्स तथा डैशबोर्ड्स की स्थापना में सहायता प्रदान करना, विभाग की प्रमुख वेबसाइट्स के अनुरक्षण, तथा यदि आवश्यक हो तो, उसके विकास में सहायता देना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी)/एम.सी.ए. तथा एम.बी.ए. की डिग्री, न्यूनतम 10 वर्ष का परामर्शी/कार्यान्वयन कार्यों का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल पांच परियोजनाएं), सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन/प्रबन्धन वाली तीन परियोजनाएं एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के कार्यान्वयन वाली तीन परियोजनाएं।

5.6 इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: शासकीय विभागों को इन्फ्रास्ट्रक्चर/रियल एस्टेट/नगरीय नियोजन से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर परामर्श देना, मिशन मोड परियोजनाओं अथवा वृहद परियोजना मैनेजमेन्ट इकाई में कार्य तथा सरकारी योजनाओं हेतु परामर्शी सेवायें प्रदान करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धित क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, रियल एस्टेट/इन्फ्रास्ट्रक्चर/नगरीय नियोजन क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा- राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल पांच परियोजनाएं), रियल एस्टेट/इन्फ्रास्ट्रक्चर/नगरीय नियोजन क्षेत्र में तीन मिशन मोड परियोजनायें, दो राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय परियोजनायें। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में की गयी परामर्शी सेवा प्रदान करने के अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

5.7 कार्य-क्षेत्र विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विद्युत, ऊर्जा, उड्डयन, स्वास्थ्य, जैव-प्रौद्योगिकी, समाज-कल्याण, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यावरण, सिंचाई एवं जल संसाधन इत्यादि क्षेत्रों में दक्षता तथा इन क्षेत्रों में शासकीय विभागों को परामर्श प्रदान करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री, सम्बन्धित क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा-सम्बन्धित क्षेत्र की राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल पांच परियोजनाएं) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में की गयी परामर्शी सेवा प्रदान करने के

अनुभव को वरीयता दी जायेगी अथवा सम्बन्धित सेक्टर में कार्य करने वाले राज्य व केन्द्र सरकार के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी को वरीयता दी जायेगी।

5.8 नियोजन/वित्तीय (प्लानिंग/बजटिंग) कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभागीय दिशानिर्देशों तथा सामान्य वित्तीय नियमों के अनुरूप आय-व्ययक के निर्माण कार्य में सहायता प्रदान करना, विकासखण्ड, जिला, राज्य स्तर पर आवश्यकता आधारित आय-व्ययक तथा नियोजन सुनिश्चित करने में परामर्श देना तथा निधियों का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु उचित व्यवस्था का विकास करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम.बी.ए. (वित्त)/सी.एफ.ए./सी.ए. की डिग्री, नियोजन/आय-व्ययक निर्माण में न्यूनतम 08 वर्ष तथा विशिष्ट कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा-शासकीय क्षेत्र में एक परियोजना, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय क्षेत्र में एक परियोजना।

6- मिड लेवल कन्सल्टेन्ट

6.1 आर0एफ0पी0 डिजाइन/बिड मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: प्रदेश की नीति एवं कार्यों से सम्बन्धित विभागों में कार्यान्वयन एवं कान्ट्रैक्ट मैनेजमेन्ट, सरकारी तन्त्र के अनुरूप बिड एवं कान्ट्रैक्ट मैनेजमेन्ट प्रक्रिया के वर्तमान तन्त्र एवं क्षमता का आंकलन करना, बिड मैनेजमेन्ट एवं कान्ट्रैक्ट मैनेजमेन्ट पर विशिष्ट फोकस के साथ ही सरकारी संसाधनों के लिये क्षमता वृद्धि का चिन्हींकरण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों को सरकारी संसाधनों के अनुसार मदद करना एवं अनुश्रवण के पी0पी0पी0 के लिये आई0सी0टी0 समाधान हेतु डिजाइन तैयार करना। स्कोप ऑफ वर्क, अर्हता एवं तकनीकी मूल्यांकन मानक, नियमों एवं शर्तों सहित आर.पी.एफ. के निर्माण, प्री-बिड कार्यवाही, बिड्स मूल्यांकन, एल.ओ.आई. निर्गमन तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर इत्यादि कार्यों में सहायता करना तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर होने तक क्रय सम्बन्धित सभी गतिविधियों में विभाग की सहायता करना।

योग्यता एवं अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सी0ए0/आई0सी0डब्ल्यू0ए0/सी0एस0 का प्रबन्धन (फाईनेन्स) में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा, कन्सल्टिंग का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव, राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर सरकारी कन्सल्टेन्सी का कुल तीन प्रोजेक्ट में भागीदारी का अनुभव होना चाहिये जिसमें से दो प्रोजेक्ट पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं एक प्रोजेक्ट बिड प्रोसेस मैनेजमेन्ट का होना चाहिये अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.टेक/एम.बी.ए. की डिग्री, परामर्शी कार्यों में न्यूनतम (एम.बी.ए.) 05 वर्ष/(बी.टेक) 08 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा-राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय (03 परियोजनाएं) , कम से कम 05 आर.एफ.पी. के निर्माण का

अनुभव एवं बिड प्रोसेस प्रबन्धन में दो परियोजनाएं (आर.एफ.पी. निर्माण से अनुबन्ध हस्ताक्षर होने तक)।

6.2 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभाग के आई.सी.टी. विजन/रोड-मैप के सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों में सहायता, विभाग की ई-गवर्नेन्स योजनाओं के विकास तथा रोलिंग-आउट में सहायता प्रदान करना, अद्वितीय सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता, विभाग की परियोजनाओं के अनुश्रवण तथा समीक्षा हेतु एम.आई.एस. टूल्स तथा डैशबोर्ड्स की स्थापना में सहायता देना, विभाग की प्रमुख वेबसाइट्स के अनुरक्षण तथा यदि आवश्यक हो तो, उसके विकास में सहायता देना तथा विभाग तथा एन.आई.सी./इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य मुख्य व्यक्ति के रूप में कार्य-निष्पादन।

योग्यता एवं अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी)/एम.सी.ए. की डिग्री के साथ न्यूनतम 05 वर्ष का परामर्शी/कार्यान्वयन कार्यों का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा-राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल 03 परियोजनाएं), सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ जनित सेवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन/प्रबन्धन वाली दो परियोजनाएं एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के कार्यान्वयन वाली एक परियोजना।

6.3 प्रोग्राम मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभागों/निदेशालयों में मुख्य कार्मिकों के साथ नियमित बैठक सुनिश्चित करना, प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के विकास में सहायता प्रदान करना, प्रोग्राम डाटा प्रबन्धन तथा विश्लेषण में सहायता प्रदान करना, सभी आन्तरिक और वाह्य बैठकों हेतु आवश्यक विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण ढांचे का विकास और उसका सुधार तथा प्रमुख बैठकों के कार्यवृत्त संरक्षित रखना, सभी परियोजनाओं की समय-सारिणी रखना, उसका प्रबन्धन तथा एक्सेल अथवा इसी प्रकार के साधन द्वारा उनकी प्रगति का विश्लेषण करना, आन्तरिक तथा वाह्य हितधारकों के साथ सम्पर्क रखना तथा विभिन्न मुख्य परियोजनाओं/कार्यक्रमों की कार्यान्वयन प्रगति हेतु स्थलीय भ्रमण तथा राज्य स्तर पर निर्दिष्ट निर्देशों और मार्गनिर्देशों का यथार्थ प्रसार सुनिश्चित करना।

योग्यता एवं अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम0बी0ए0/बी0टेक0 की डिग्री अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य/मार्केटिंग/कम्युनिकेशन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री, एडवाईजरी/कन्सल्टिंग का कम से कम 07 वर्ष का प्रोफेशनल अनुभव, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की संस्थाओं के साथ सलाहकार के रूप में दो प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग इकाई में कार्य का अनुभव। ट्रांसफारमेशन/बिजनेस-री इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित बड़े कार्यों का अनुभव के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में सलाहकार का अनुभव प्राप्त को वरीयता।

6.4 क्षमता वृद्धि/प्रशिक्षण कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभाग के समस्त विभिन्न संवर्गों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आवश्यकताओं को चिन्हित करने में सहायता, प्रत्येक संवर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कैलेण्डर्स के विकास में सहायता, मॉड्यूलस तथा पाठ्यक्रमों के विकास में सहायता तथा सम्पूर्ण प्रदेश, मण्डलों तथा जिलों में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

योग्यता एवं अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री, राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से सम्बन्धित न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, संगठन/विभाग की प्रशिक्षण तैयारी के आंकलन-कार्य, विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूलस/पैकेजेस/पाठ्यक्रम के विकास, प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण प्रयासों की प्रभावशीलता और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उपयुक्त रीतियों और उपायों के पहचान का अनुभव, क्षमता मूल्यांकन, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम संगठन, समस्या आधारित प्रशिक्षण (न केवल सामग्री आधारित) और प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन सहित सार्वजनिक क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षण पद्धति और क्षमता निर्माण का अनुभव तथा किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार में कम से कम 02 परियोजनाओं पर कार्य का अनुभव।

6.5 शासकीय परामर्शी कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभाग की किसी भी परियोजना से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर परामर्श प्रदान करना, मिशन मोड परियोजनाओं या बड़ी परियोजना प्रबन्धन इकाई में कार्य करना तथा सरकारी योजनाओं हेतु परामर्शी सेवायें प्रदान करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम.बी.ए. की डिग्री, शासकीय विभागों में तत्सम्बन्धी परामर्शी सेवाओं का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा-राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल दो परियोजनाएं), सरकारी क्षेत्र में 02 मिशन मोड परियोजनायें, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय एक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग इकाई परियोजना का अनुभव एवं कम से कम 02 विभागों /मंत्रालयों में कार्य का अनुभव।

6.6 इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: शासकीय विभागों को इन्फ्रास्ट्रक्चर/रियल एस्टेट/नगरीय नियोजन से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर परामर्श, मिशन मोड परियोजनाओं अथवा वृहद परियोजना मैनेजमेन्ट इकाई में कार्य तथा सरकारी योजनाओं हेतु परामर्शी सेवायें प्रदान करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धित क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री, रियल एस्टेट/इन्फ्रास्ट्रक्चर/नगरीय नियोजन क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा- राष्ट्रीय

अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल तीन परियोजनाएं), रियल एस्टेट/इन्फ्रास्ट्रक्चर/नगरीय नियोजन क्षेत्र में दो मिशन मोड परियोजनाएँ, दो राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय परियोजनाएँ, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में की गयी परामर्शी सेवा प्रदान करने के अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

6.7 कार्य-क्षेत्र विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विद्युत, ऊर्जा, उड्डयन, स्वास्थ्य, जैव-प्रौद्योगिकी, समाज-कल्याण, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यावरण, सिंचाई एवं जल संसाधन इत्यादि क्षेत्रों में दक्षता तथा इन क्षेत्रों में शासकीय विभागों को परामर्श प्रदान करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री, सम्बन्धित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा-सम्बन्धित क्षेत्र की राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल 02 परियोजनाएं), केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में की गयी परामर्शी सेवा प्रदान करने के अनुभव को वरीयता दी जायेगी अथवा सम्बन्धित सेक्टर में भारत सरकार/राज्य सरकार में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी में अधिकारी के रूप में कार्य किया हो।

6.8 ब्राँडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभाग को उसकी ब्राँडिंग और कम्युनिकेशन रणनीति के निर्माण में सहायता प्रदान करना, प्रदेश में ब्राँडिंग और कम्युनिकेशन से सम्बन्धित सामग्री/साहित्य के निर्माण और आपूर्ति में विभाग को सहायता प्रदान करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा संस्थान से बी.बी.ए./एम.बी.ए./मॉस-कम्युनिकेशन में स्नातक डिग्री, न्यूनतम 02 वर्ष के परामर्शी कार्यों के अनुभव सहित, मार्केटिंग के क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का प्रोफेशनल अनुभव तथा सरकारी क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्राँडिंग तथा कम्युनिकेशन से सम्बन्धित परामर्शी कार्यों के अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

7- जूनियर लेवल कन्सल्टेन्ट

7.1 डाक्यूमेन्टेशन (प्रलेखन) कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: आवश्यक विचारणीय टिप्पणियां एवं रिपोर्ट तैयार करना। प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार उच्च गुणवत्ता के आन्तरिक एवं वाह्य प्रस्तुतीकरण का निर्माण।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रथम श्रेणी में बी0टेक0, एम0बी0ए0/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री। एडवाईजरी/कन्सल्टिंग में कम से कम 03 वर्ष का प्रोफेशनल अनुभव, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की संस्थाओं के साथ सलाहकार के रूप में कार्य, सामाजिक क्षेत्र में सलाहकार के रूप में अनुभव को वरीयता।

7.2 डाटा एनालिसिस कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: उपलब्ध संसाधनों से निर्णय हेतु आवश्यक डाटा का संकलन, विभागों की आवश्यकतानुसार आंकड़ों का चिन्हींकरण एवं सरलीकरण, डाटा मैनेजमेन्ट एवं विश्लेषण के लिये प्रोग्राम उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना। डाटा का विश्लेषण करना तथा विभागाध्यक्ष को अपना परामर्श उपलब्ध कराना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी.टेक अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में स्नातकोत्तर, परामर्शी सेवाओं का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव, केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के साथ परामर्शी सेवाओं का अनुभव तथा वृहद स्तर पर परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखने और अनुश्रवण कार्यों के अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

7.3 शासकीय परामर्शी कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभाग की किसी भी परियोजना से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर परामर्श प्रदान करना, मिशन मोड परियोजनाओं या बड़ी परियोजना प्रबन्धन इकाई में कार्य तथा सरकारी योजनाओं हेतु परामर्शी सेवायें प्रदान करना।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम.बी.ए. की डिग्री, शासकीय विभागों में तत्सम्बन्धी परामर्शी सेवाओं का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव तथा परामर्शी कार्यों के निष्पादन में भाग लिया हो यथा-राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (कुल दो परियोजनाएं), सरकारी क्षेत्र में एक मिशन मोड परियोजना एवं कम से कम 02 विभागों/मन्त्रालयों में कार्य का अनुभव।

7.4 आर0एफ0पी0 डिजाईन/बिड मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: प्रदेश की नीति एवं कार्यों से सम्बन्धित विभागों में कार्यान्वयन एवं कान्ट्रेक्ट मैनेजमेन्ट, सरकारी तन्त्र के अनुरूप बिड एवं कान्ट्रेक्ट मैनेजमेन्ट प्रक्रिया का वर्तमान तन्त्र एवं क्षमता का आंकलन, बिड मैनेजमेन्ट एवं कान्ट्रेक्ट मैनेजमेन्ट पर विशिष्ट फोकस के साथ ही सरकारी संसाधनों के लिये क्षमता वृद्धि का चिन्हींकरण एवं अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों को सरकारी संसाधनों के अनुसार मदद करना, आर0एफ0पी0 निर्माण एवं फ्लोट करना तथा प्री बिड मीटिंग एवं बिड मूल्यांकन का कार्य।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.टेक./एम.बी.ए./सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस. का प्रबन्धन (फाईनेन्स) में प्रथम श्रेणी में डिग्री/डिप्लोमा, कंसल्टिंग का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव, राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर सरकारी कंसल्टेन्सी का कुल दो प्रोजेक्ट में भागीदारी के अनुभव के साथ ही आर0एफ0पी0 निर्माण का अनुभव भी होना चाहिये जिसमें से एक प्रोजेक्ट पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं एक प्रोजेक्ट बिड प्रोसेस मैनेजमेन्ट का होना चाहिये।

7.5 पी0आर0/मीडिया/प्रोटोकॉल कन्सल्टेन्ट

कार्य क्षेत्र: विभाग की आवश्यकतानुसार आवश्यक टिप्पणियां प्रस्तुत करना, प्रेस विज्ञप्ति में सहयोग प्रदान करना, नीतियों एवं टिप्पणियों का अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करना तथा प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करना इत्यादि। विभाग में आने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मण्डलों के आगमन पर द्विभाषीय का कार्य करने के साथ प्रोटोकॉल का भी पूर्ण ज्ञान हो।

योग्यता तथा अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी तथा अंग्रेजी में स्नातक के साथ एम.बी.ए. की डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा इन मॉस कम्युनिकेशन। सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष का प्रोफेशनल अनुभव, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

8- यूपीडेस्को के ई-टेंडर सन्दर्भ संख्या-EMPANEL/CON/2018/1 टेंडर आईडी-2018_UDSCL_188359_1 के अन्तर्गत निहित प्रक्रिया तथा मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को एवं शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के परीक्षणोंपरान्त निम्न अर्ह संस्थाओं का पैनल तैयार किया जाता है :-

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम एवं पता
1-	Ernst & Young LLP (अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी) Golf View Corporate Tower-B, Sector-42, Gurgaon-122002, Haryana.
2-	KPMG Advisory Services Private Limited (केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेस प्रा0लि0) Lodha Excellus, 1 st Floor, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400011, Maharashtra.
3-	Pricewaterhouse Coopers Private Limited (प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स प्रा0लि0) 17 th Floor, Building No. 10, Tower C, DLF Cyber City, Gurgaon-122002, Haryana.
4-	Wipro Limited (विप्रो लि0) Plot No. 480-481, Udyog Vihar Phase III, Gurgaon-122016, Haryana.

नोट- यूजर विभागों के उपयोगार्थ इम्पैनलमेन्ट हेतु आर0एफ0पी0 एवं कोरिजेण्डम नियोजन विभाग की वेबसाइट-<http://planning.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

9- इस शासनादेश के प्रस्तर-8 में उल्लिखित सूचीबद्ध संस्थाओं का पैनल उनके द्वारा निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया गया है। नियोजन विभाग को यूपीडेस्को द्वारा उपलब्ध कराये गये निविदादाताओं के बिड अभिलेख नियोजन विभाग की

वेबसाइट-<http://planning.up.nic.in> पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे यूजर विभाग आवश्यकतानुसार इनका उपयोग कर सकेंगे।

10- यूजर विभाग द्वारा कन्सल्टेन्ट्स की सेवायें प्राप्त करने हेतु पारिश्रमिक, टीए, लॉजिंग तथा डीए का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :-

10.1 कन्सल्टेन्ट्स की सेवायें प्राप्त करने हेतु पारिश्रमिक की मासिक दरें (यू0पी0 एल-1):-

क्र0सं0	कन्सल्टेन्ट्स	रू0 प्रति माह
अ-सीनियर लेवल कन्सल्टेन्ट्स		
1-	प्रोजेक्ट डायरेक्टर Project Director	4,14,000.00
2-	नीति निर्धारण (पॉलिसी डिजाईन) कन्सल्टेन्ट Policy Design Consultant	3,56,500.00
3-	शासकीय परामर्शीय कन्सल्टेन्ट Government Advisory Consultant	3,56,500.00
4-	संविदा कन्सल्टेन्ट (लीगल एक्सपर्ट) Contractual Consultant (Legal Expert)	3,30,000.00
5-	सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कन्सल्टेन्ट Information Technology/Information Technology enabled Services Consultant	3,41,000.00
6-	इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट Infrastructure Consultant	3,41,000.00
7-	कार्य-क्षेत्र विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट Sector Expert/Consultant	3,35,000.00
8-	नियोजन/वित्तीय (प्लानिंग/बजटिंग) कन्सल्टेन्ट Planning/Financial (Planning/Budgeting) Consultant	3,22,000.00
ब-मिड लेवल कन्सल्टेन्ट्स		
1-	आर0एफ0पी0 डिजाईन/बिड मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट RFP Design/Bid-Management Consultant	3,20,000.00

2-	सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कन्सल्टेन्ट Information Technology/Information Technology enabled Services Consultant	2,87,500.00
3-	प्रोग्राम मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट Program Management Consultant	2,94,000.00
4-	क्षमता वृद्धि/प्रशिक्षण कन्सल्टेन्ट Capacity Building/Training Consultant	2,50,000.00
5-	शासकीय परामर्शीय कन्सल्टेन्ट Government Advisory Consultant	2,87,500.00
6-	इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट Infrastructure Consultant	2,50,000.00
7-	कार्य-क्षेत्र विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट Sector Expert/Consultant	3,10,000.00
8-	ब्राँडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन कन्सल्टेन्ट Branding, Marketing & Communication Consultant	2,50,000.00
स-जूनियर लेवल कन्सल्टेन्ट्स		
1-	डाक्यूमेन्टेशन (प्रलेखन) कन्सल्टेन्ट Documentation Consultant	2,75,000.00
2-	डाटा एनालिसिस कन्सल्टेन्ट Data Analysis Consultant	2,87,500.00
3-	शासकीय परामर्शी कन्सल्टेन्ट Government Advisory Consultant	2,87,500.00
4-	आर0एफ0पी0 डिजाईन/बिड मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट RFP Design/Bid-Management Consultant	2,87,500.00
5-	पी0आर0/मीडिया/प्रोटोकॉल कन्सल्टेन्ट Public Relations/Media/Protocol Consultant	2,50,000.00

10.2 यात्रा भत्ता (टीए) का भुगतान :-

10.2.1 लखनऊ नगर सीमा में यात्रा तथा प्रवास हेतु पृथक से कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

10.2.2 लखनऊ से बाहर यात्रा हेतु इकोनॉमी क्लास एयर किराया अथवा एयर कंडीशन द्वितीय श्रेणी रेलवे यात्रा की अनुमन्यता होगी। कम दूरी की यात्रा हेतु टैक्सी की अनुमन्यता वास्तविक व्यय के आधार पर होगी।

10.3 कन्सल्टेन्ट्स को लॉजिंग एवं डीए का भुगतान निम्नवत अनुमन्य होगा :-

क्र0 सं0	स्तर	लॉजिंग (रू0) प्रतिदिन			डी0ए0 (रू0) प्रतिदिन		
		श्रेणी-ए	श्रेणी-बी	श्रेणी-सी	श्रेणी-ए	श्रेणी-बी	श्रेणी-सी
1-	सीनियर लेवल कन्सल्टेन्ट्स	5000.00	3500.00	3000.00	1000.00	1000.00	850.00
2-	मिड लेवल कन्सल्टेन्ट्स	4000.00	3000.00	2500.00	800.00	600.00	600.00
3-	जूनियर लेवल कन्सल्टेन्ट्स	3000.00	2500.00	2000.00	600.00	400.00	400.00

10.4 कन्सल्टेन्ट्स हेतु यात्रा भत्ते/प्रवास व्यय निर्धारण की दृष्टि से प्रमुख नगरों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नवत है :-

श्रेणी ए :- दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे तथा अहमदाबाद।

श्रेणी बी :- सभी प्रदेशों की राजधानियां तथा नागपुर, बडौदा, इन्दौर, पणजी, कोचीन, लुधियाना, अजमेर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, मेरठ।

श्रेणी सी :- अन्य सभी स्थान।

10.5 सभी विभाग अपनी आवश्यकतानुसार उपर्युक्त दरों के आधार पर सूचीबद्ध कन्सल्टेन्सी फर्म्स के माध्यम से कन्सल्टेन्ट्स की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे।

10.6 निर्धारित दरें प्रारम्भिक रूप से तीन वर्ष के लिए वैध होंगी, जो शासन द्वारा 15 प्रतिशत वृद्धि पर अगले 02 वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकती हैं।

10.7 कन्सल्टेन्ट की सेवायें प्राप्त करने हेतु निक्सी (एन0आई0सी0 की अनुषंगी इकाई) की दरें 16 जून, 2018 से प्रभावी हैं इन दरों पर प्रतिवर्ष 08 प्रतिशत की वृद्धि का प्राविधान है, जो निम्नवत हैं :-

क्र0सं0	कन्सल्टेन्ट	अनुभव (वर्ष में)	रू0 प्रति माह (16.06.2018)
अ-सीनियर लेवल कन्सल्टेन्ट्स			
1-	प्रोजेक्ट डायरेक्टर Project Director	15	3,88,800.00
2-	नीति निर्धारण (पॉलिसी डिजाईन) कन्सल्टेन्ट Policy Design Consultant	10-15	3,34,800.00
3-	शासकीय परामर्शीय कन्सल्टेन्ट Government Advisory Consultant	10-15	3,34,800.00
4-	संविदा कन्सल्टेन्ट (लीगल एक्सपर्ट) Contractual Consultant (Legal Expert)	10-15	3,34,800.00
5-	सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कन्सल्टेन्ट Information Technology/Information Technology enabled Services Consultant	10-15	3,34,800.00
6-	इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट Infrastructure Consultant	10-15	3,34,800.00
7-	कार्य-क्षेत्र विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट Sector Expert/Consultant	15	3,88,800.00
8-	नियोजन/वित्तीय (प्लानिंग/बजटिंग) कन्सल्टेन्ट Planning/Financial (Planning/Budgeting) Consultant	06-10	3,02,400.00
ब-मिड लेवल कन्सल्टेन्ट्स			
1-	आर0एफ0पी0 डिजाईन/बिड मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट RFP Design/Bid-Management Consultant	06-10	3,02,400.00

2-	सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कन्सल्टेन्ट Information Technology/Information Technology enabled Services Consultant	06-10	3,02,400.00
3-	प्रोग्राम मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट Program Management Consultant	06-10	3,02,400.00
4-	क्षमता वृद्धि/प्रशिक्षण कन्सल्टेन्ट Capacity Building/Training Consultant	06-10	3,02,400.00
5-	शासकीय परामर्शीय कन्सल्टेन्ट Government Advisory Consultant	06-10	3,02,400.00
6-	इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट Infrastructure Consultant	06-10	3,02,400.00
7-	कार्य-क्षेत्र विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट Sector Expert/Consultant	10-15	3,34,800.00
8-	ब्राँडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन कन्सल्टेन्ट Branding, Marketing & Communication Consultant	06-10	3,02,400.00
स-जूनियर लेवल कन्सल्टेन्ट्स			
1-	डाक्यूमेन्टेशन (प्रलेखन) कन्सल्टेन्ट Documentation Consultant	03-06	2,70,000.00
2-	डाटा एनालिसिस कन्सल्टेन्ट Data Analysis Consultant	03-06	2,70,000.00
3-	शासकीय परामर्शी कन्सल्टेन्ट Government Advisory Consultant	03-06	2,70,000.00
4-	आर0एफ0पी0 डिजाईन/बिड मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट RFP Design/Bid-Management Consultant	03-06	2,70,000.00
5-	पी0आर0मीडिया/प्रोटोकॉल कन्सल्टेन्ट Public Relations/Media/Protocol Consultant	03-06	2,70,000.00

10.8 विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबंध के आधार पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बिना कोई

निविदा प्रक्रिया आमंत्रित किये कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी कार्य कराये जाने हेतु दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे, यूजर विभाग अपनी आवश्यकतानुसार सूचीबद्ध संस्थाओं से समस्त कन्सल्टेन्ट रिसोर्सेस तथा लॉजिंग एवं डीए की एल-1 दरों (प्रस्तर- 10.1 तथा 10.3) पर कन्सल्टेन्ट की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग भारत सरकार की संस्था निक्सी की न्यूनतम दरों (प्रस्तर- 10.7) के आधार पर भी कन्सल्टेन्ट की सेवायें ले सकते हैं।

10.9 कन्सल्टेन्ट की सेवायें प्राप्त करने में विभाग का मन्तव्य अन्तिम होगा।

10.10 कन्सल्टेन्ट की सेवायें पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पर प्राप्त की जायेंगी। जिन कन्सल्टेन्ट की सेवायें फुल टाइम प्राप्त की जायेंगी, उन्हें विभाग के साथ कन्सल्टेन्सी की अवधि में कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

10.11 पार्ट टाइम कन्सल्टेन्ट की सेवायें इस शर्त के साथ प्राप्त की जायेंगी कि वह विभाग द्वारा दिये गये कार्यों के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत हित में किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे।

11- उत्तर प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की संख्या, टर्मिनेशन नोटिस, पेनाल्टी तथा अवकाश आदि के निर्धारण के मापदण्ड निम्नवत हैं :-

11.1 कन्सल्टेन्ट्स की संख्या- सम्बन्धित विभाग अपनी परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक पूर्ण करने के लिये आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणी के कन्सल्टेन्ट्स की संख्या नियमानुसार निर्धारित करेंगे।

11.2 टर्मिनेशन नोटिस- कन्सल्टेन्ट की सेवायें अस्थायी प्रकृति की होंगी। इन्हें संतोषजनक सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना पर इनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

11.3 पेनाल्टी-

- In case the selected consultant firm shall not be able to deploy the proposed resource (s) within 15 days of the LOI acceptance, a penalty of 2% (of, the proposed resource (s) monthly charge as per the rate contract table) per day per resource shall be levied on the firm subject to the maximum of 50% of the overall monthly charge. Beyond the 50% penalty amount, UPDESCO/Department shall have

the rights to choose the alternate consultant firm imposing the 50% penalty on the existing consultant firm plus Rs one lakh per resource.

- In case UPDESCO/consultant firm is dissatisfied with the quality of the work of deployed resource, UPDESCO shall mention the same to the Consultant in writing. In case of such 3 incidents, UPDESCO shall have the rights to direct the consultant firm to replace the existing resource within 15 days. Beyond 15 days the above clause shall be applicable.

11.4 देय अवकाश - वर्ष में 12 दिन अवकाश देय होगा।

12- कन्सल्टेन्ट की सेवायें प्राप्त करने की प्रक्रिया

12.1 उत्तर प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबंध के आधार पर सेवायें प्राप्त करने हेतु, जैसा कि इस शासनादेश में उल्लिखित है, के अनुसार यूजर विभाग विभागीय निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत सुविचारित आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमोदनोंपरान्त सूचीबद्ध संस्थाओं की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे।

12.2 सम्बन्धित विभाग में वास्तविक आवश्यकता होने पर ही सीमित अवधि के लिये कन्सल्टेन्ट आबद्ध किये जायेंगे। प्रशासनिक विभाग ऐसे विशेष कार्य, जिनको करने के लिये विभाग में विशेषज्ञ उपलब्ध न हों, के लिये ही कन्सल्टेन्ट आबद्ध करेंगे।

12.3 सामान्यतः विभागों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध रहती है। जिन विभागों में कन्सल्टेन्सी कार्य हेतु जनशक्ति उपलब्ध नहीं है, वहां पर विशेष परिस्थिति में कार्य विशेष हेतु कन्सल्टेन्ट सीमित अवधि के लिये ही आबद्ध किये जायेंगे।

12.4 प्रशासनिक विभाग कन्सल्टेन्ट आबद्ध करने के पूर्व उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों को परिभाषित करते हुये वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उनकी कार्यावधि भी सुनिश्चित कर लेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास पर्याप्त बजटीय व्यवस्था उपलब्ध है।

12.5 अनुबंध के आधार पर सेवायें प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा कन्सल्टेन्ट की आवश्यकता एवं औचित्य को स्पष्ट करते हुये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी। तदोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके ही कन्सल्टेन्ट आबद्ध किये जायेंगे।

12.6 नियोजन विभाग का कार्य, इम्पैनल्ड संस्थाओं की सूची प्रदेश के विभागों को उपलब्ध कराने तक सीमित है।



(दीपक त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 26/18/632/35-1-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 3- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6- समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 7- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- निजी सचिव, सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9- निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।

आज्ञा से,



(आर0एन0एस0 यादव)

विशेष सचिव।